जनसंपर्क विभाग, अमेरिकी दूतावास
प्रेस समाचार
शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021 दूरभाषः 011.24198000 एक्सटेंशनः 8827
फैक्सः 011. 24198817 वेबसाइटः http://newdelhi.usembassy.gov

10 जुलाई, 2008

अमेरिकी सरकार ने फ्लोरिडा हत्या मामले में वांछित भगोड़े के प्रत्यार्पण हेतु भारत के कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ कार्य किया

नई दिल्ली -- फ्लोरिडा कानून प्रर्वतन अधिकारियों ने अपनी भतीजी की हत्या के मामले में वांछित एक भारतीय नागरिक को 9 जुलाई को अमेरिकी दूतावास नई दिल्ली तथा भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से अमेरिका प्रत्यार्पण किया है।

कमलेश अग्रवाल 11 जुलाई, 1999 को हुई अमेरिकी नागरिक 20 वर्षीय अपनी भतीजी दीपा अग्रवाल की हत्या मामले में आभियुक्त है। पुलिस को उसकी भतीजी का शव मिलने के तुरंत बाद अग्रवाल भारत भाग आया था और फ्लोरिडा राज्य ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए थे।

अमेरिकी कानून प्रवर्तन से प्रत्यार्पण हेतु गिरफ्तारी वारंट प्राप्त होने पर भारतीय पुलिस ने अग्रवाल को ढूंढा और 2000 में मुंबई के एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया। एक भारतीय मजिस्ट्रेट न्यायालय ने प्रथमदृष्टया हत्या के साक्ष्य तलब करने पर उसके प्रत्यार्पण को 2002 में मंजूरी दी।

पिछले आठ सालों से न्यायिक याचिकाओं द्वारा अग्रवाल की वापसी में देरी हुई। एक भारतीय उच्च न्यायालय ने उसकी अंतिम याचिका मई 2008 में निरस्त कर दी, और अग्रवाल को अमेरिकी प्रत्यार्पण अधिकारियों को सौंप दिया। ओरलैंडो, फ्लोरिडा में हत्या के विचारण हेतु भारत में अमेरिकी विदेश विभाग की राजनयिक सिक्यूरिटी सर्विस और अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के विशेष एजेंट, भगोड़े को अमेरिका ले गए।

नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास, भारत सरकार और अमेरिकी न्याय विभाग ने अग्रवाल की अमेरिका वापसी के लिए आठ सालों तक संयुक्त रूप से कार्य किया।

***